



विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्यता की सूचना

विश्वविद्यालय मे अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि कुल कक्षाओं में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राज्य सरकार के नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण होने पर ही परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकेगा।

अतः प्रत्येक विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति होना अनिवार्य है, इसके अभाव में छात्र स्वयं उत्तरदायी होगा।

(डॉ. के. साम्बशिवमूर्ति)
निदेशक, शैक्षणिक परिसर
जरारासंवि, जयपुर
दिनांक: 19/10/2019

क्रमांक: प.()जरारासंवि/नि.शै.प./19/16806-11
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, जरारासंवि, जयपुर।
2. निजी सहायक, कुलसचिव, जरारासंवि, जयपुर।
3. विभागाध्यक्ष (साहित्य/ज्योतिष/वेद/शिक्षा/व्याकरण/दर्शन/योग), जरारासंवि, जयपुर।
4. पुस्तकालयाध्यक्ष, जरारासंवि, जयपुर।
5. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाईट, जरारासंवि, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।
6. समस्त विभागीय सूचना पट्ट।

(डॉ. के. साम्बशिवमूर्ति)
निदेशक, शैक्षणिक परिसर
जरारासंवि, जयपुर